समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड

तीलू रौंतेली विशेष पेंशन योजना (पेंशन का प्रार्थना–पत्र)

समाज कल्याण की वैवसाईट **www. socialwelfare.uk.gov.in**

नवीनतम् फोटो जो ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अध्यक्ष/सभासद नगरपालिका/ग्राम विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापित

1 * आवेदक का नाम कु0/श्री/श्रीमती .....

2 * पिता/पति का नाम श्री .....

3 * स्थायी पता–.....

मोहल्ला/ग्राम.....

पोस्टआफिस–.....

ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....

न्याय पंचायत .....विकासखण्ड.....

तहसील.....जनपद.....

4–1 * विकलांगता का प्रकार.....विकलांगता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न की जाय।

4–2 * विकलांगता का प्रतिशत.....

5 * जाति .....

6 * जन्मतिथि/आयु .....आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

(भाग–दो परिवार रजिस्टर की नकल प्रति या शैक्षिक अभिलेख का प्रमाण–पत्र की प्रति)

7 * आवेदक का डाकघर/ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक शाखा का नाम एवं पता.....

* खातासंख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |

* IFSC Code No | | | | | | | | | | | |

डाकघर/ बैंक शाखा पासबुक के प्रथम पृष्ट की स्पष्ट फोटो प्रति संलग्न करें।

8 * वोटर पहचान पत्र संख्या .....

9 _ आधार नम्बर ..... | | | | | | | | | | | |

10 * स्वयं अथवा निकट संबंधी का मोबाइल नम्बर .....

आवेदक द्वारा घोषणा–

मैं कु0/श्रीमती/श्री .....घोषणा करती/करता हूँ कि आवेदन–पत्र में उपरोक्त दी गयी सूचना सही हैं। गलत सूचना के आधार पर मेरे द्वारा लाभ प्राप्त करने पर नियमानुसार मुझसे, सरकार द्वारा दिये गये लाभ की वसूली भू–राजस्व की भॉति कर ली जाय।

दिनांक..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि कु0/श्रीमती/श्री.....पति/पिता..... .....जो कृषि कार्य करने में विकलांग हुई है, तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना हेतु पात्रता की श्रेणी में आती हैं/आते हैं, का आज खुली बैठक में चयन किया।

ग्रामीण क्षेत्र के लिये

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, के हस्ताक्षर एवं मुहर **ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर**

<u>नोट–</u> * **सम्बन्धित कालम अनिवार्य रुप से भरे जाने हैं।**

– **सम्बन्धित कालम ऐच्छिक/उपलब्धता के आधार रुप से भरे जाने हैं।**